जुवारी सिमेंट Zuari Cement HEIDELBERGCEMENT Group	जुआरी सीमेंट लिमिटेड		प्रक्रिया सं: एमपी 100 फाइल: जुआरी–व्हिसल ब्लोविंग
व्यवसाय: बहु–व्यवसाय	कार्यविधि: व्हिसल ब्लोविंग		सम्मिलित कम्पनियां:
निर्माणकर्ता: सुधीर	पुनरीक्षा: ई एंड्रीव	प्राधिकृत: नाबिल फ्रांसिस	प्रकाशित: एस सुरेश
संस्करण: 1.0	8 में से 1 पृष्ठ	अनुमोदन तिथि: 25.02.2014	

व्हिसल ब्लोविंग नीति

1. उद्देश्य

इस व्हिसल ब्लोविंग प्रक्रिया ("प्रक्रिया") का प्रयोजन निदेशकों, कर्मचारियों और कंपनी के साथ व्यवसाय करते तृतीय पक्षों को कंपनी पर लागू होने वाले, अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी, अनियमितता या प्राधिकारों के दुरुपयोग के किसी विधियों और विनियमों के उल्लंघन (या उल्लंघन के संदेह) के बारे में सूचित करने की अनुमति प्रदान करना और ऐसे उल्लंघनों के लिए प्रभावकारी, समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

2. उपयोग

यह विधि जुआरी सीमेंट लिमिटेड ("जेडसीएल") और इसके सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से "कंपनी") पर लागू होती है। कंपनी इटैलसीमेंटी समूह के आचारनीतियों, मूल्यों के अधिकार पत्रों और निगमित शासन रूपरेखा की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए अपने पर लागू विदेशी और स्वदेशी विधियों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय निष्ठा के साथ संचालित किया जाए और यह कि कंपनी की वित्तीय सूचना सटीक हो। यदि कंपनी के नीतियों या प्रयोज्य विधियों के संभावी उल्लंघनों को पहचाना नहीं गया और उचित प्रकार से संबोधित नहीं किया गया, तो कंपनी और कंपनी के लिए या साथ में कम करने वाले लोगों के खिलाफ छानबीन, कार्रवाई और देयतें उत्पन्न हो सकती है।

3. प्रक्रिया विवरण

3.1 सूचना देने का दायित्व किसका है और क्या सूचित किया जाएगा

कंपनी के साथ व्यवसाय करते **प्रत्येक कर्मचारी, निदेशक या तृतीय पक्ष** (उदाहरण के लिए, ठेकेदार/ परामर्शक/ ग्राहक/ मध्यस्थ/ आपूर्तिकर्ता) पर विधियों और विनियमों, आतंरिक नियमों, नीतियों या कार्यक्रमों, सामूहिक निगमित शासन सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के संदेह के बारे में सूचित करने का कर्तव्य है। इन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "मामलो" के रूप में संदर्भित किया गया है किन्तु यह निम्न तक ही सीमित नहीं हैः

- अनैतिक आचरण (समूह के आचारनीतियों का उल्लंघन);
- कंपनी पर लागू होने वाले विधियों और विनियमों का उल्लंघन,विशेष रूप से क्या यह

आपराधिक प्रकृति की है;

– कंपनी के आतंरिक नीतियों (उदाहरण के लिए, "कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और देखभाल") या अनुपालन कार्यक्रम का उल्लंघन;

– आतंरिक नियंत्रणों, लेखांकन और वित्तीय मामलों के संबंध में अनाचार और धोखाधड़ी;

– घूसखोरी और भ्रष्टाचार;

– प्रतिस्पर्धा रोधी सहमतियाँ और आचरण;

– कंपनी के निधियों ᑊ संपत्तियों की बर्बादी / दुरुपयोग;

– संगठित अंतर्राष्ट्रीय / स्थानीय अपराध;

– अधिकार / शक्ति (उदाहरण, उत्पीड़न) का दुरुपयोग;

– पर्यावरण को घटित क्षति;

– किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति खतरा;

– रोजगार में भेद–भाव

इस तंत्र का लक्ष्य कायम रखने के लिए कोई भी निदेशक / प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति कार्य से संबंधित अपने अधिकारों का उपयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कर्मचारियों और / या तृतीय पक्षों को समस्याओं के बारे में सूचित करने से मना करने के लिए न करे या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति न दें।

3.2 सूचना प्रदाता की सुरक्षा

सूचना प्रदाता सद्भाव से सूचित की गई किसी समस्या को लेकर किसी भी नकारात्मक परिणामों (रोजगार परिणामों समेत) से न डरे।
कोई भी व्यक्ति सूचना देने वाले या इस विधि के तहत एक (संदिग्ध) समस्या के छानबीन में सहायता करने वाले या भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कर सकता है।
यदि किसी सूचना प्रदाता के पास प्रतिक्रिया या भेद–भाव के खतरे का सामना करने से डरने या यकीन करने का कोई ठोस कारण है, तो उसे जुआरी सीमेंट लिमिटेड के एचआर प्रबंधक और / या इटैलसीमेंटी समूह आतंरिक लेखा–परीक्षा के समक्ष एक शिकायत दर्ज करने का हक़ होगा जिसमे वह एक प्रभावकारी सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की विनती कर सकता है।
कंपनी प्रतिक्रिया की ऐसी सूचनाओं को गंभीरता पूर्वक लेती है और सुनिश्चित करती है कि सूचना प्रदाता के प्रति कोई प्रतिक्रिया या भेद–भाव नहीं सहा जाएगा और इस हरकत के पीछे जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी, जिसमे संभवतः उस व्यक्ति का रोजगार भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी के लिए या साथ काम करने वाले जो व्यक्ति सूचना देने वाले कर्मचारी के खिलाफ प्रतिक्रिया लेने में शामिल हैं, वे भी सिविल, आपराधिक और प्रशासनिक दंडों के अधीन होंगे।

कंपनी एकत्रित की गई जानकारी की गोपनीयता और कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान बनाए रखने के लिए सभी यथोचित सावधानियां अपनाती है।
इसके अलावा, यदि कोई सूचना प्रदाता सद्भाव से किसी समस्या की सूचना देता है, जिसकी पुष्टि आगे की छानबीन से नहीं हो पाई है, कंपनी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

इस प्रयोजन हेतु **मुख्य बिंदु (अध्यक्ष – एच आर)** निम्नलिखित सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार हैः

– सूचना प्रदाता की पहचान छिपी रहे और उसके सहमति के बिना प्रकट न हो, जब तक प्रयोज्य विधियों और विनियमों द्वारा आवश्यक न हो या जन अधिकारियों को छानबीन करने की अनुमति देने के लिए अनिवार्य न हो;

– व्यक्तिगत जानकारी को प्रयोज्य गोपनीयता विधियों और विनियमों सहित सख़्त अनुपालन के साथ प्रबंधित होगा;

– सूचना प्रदाता को किसी भी प्रतिक्रिया या भेद–भाव (उदाहरण, हानि, या नौकरी खोना या कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर खोना) से सुरक्षित रखना, फिर चाहे आतंरिक छानबीन का परिणाम कुछ भी हो;

– सूचना प्रदाताों को उत्पीड़न से सुरक्षित रखना।

3.3 **प्रभावित व्यक्ति**

समस्याओं के लिए तथ्यों या निम्न में से किसी भी व्यक्ति के आचरणों (संभावी आचरणों) का सन्दर्भ लिया जाएगा, जिस पर यह विधि लागू होती हैः

– कर्मचारियों
– प्रतिनिधियों, अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंधकों,
– निदेशक मंडली के सदस्यों,
– पर्यवेक्षण मंडल के सदस्य
– कंपनी के साथ व्यवसाय करते तृतीय साझेदार (उदाहरण के लिए, मध्यस्थ, परामर्शक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, ठेकेदार)

3.4 किसे और कैसे सूचित करें

शीघ्र पता लगने, उचित छानबीन और निवारण, और कंपनी के नीतियों या प्रयोज्य विधियों के उल्लंघनों के रोकथाम के लिए सूचना देना महत्वपूर्ण है।

➢ मामलो के बारे में निम्न में से किसी एक को सूचित किया जा सकता है (यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक को ही सूचित किया जाए):

(i) **मुख्य बिंदु** है अध्यक्ष – **एच आर**, या

(ii) पदानुक्रमिक श्रृंखला के माध्यम से **पर्यवेक्षक**, जो तत्परता सहित मुख्य बिंदु को सूचित करेगा, या

(iii) **इटैलसीमेंटी समूह के आंतरिक लेखा परीक्षक**

➢ सूचना देने का माध्यम:

(क) **मुख्य बिंदु** को ई–मेल द्वारा vigil@zcltd.com पर या

(ख) **मुख्य बिंदु** को पत्र लिख कर, **जुआरी सीमेंट लिमिटड, ऐडवेंट्ज़ सेंटर, सं.28, 2 एवं 3 मंजिल, कब्बॉन रोड, बैंगलोर – 560001,** पर या

(ग) ईमेल द्वारा **समूह आतंरिक लेखा–परीक्षा,** whistleblowing@itcgr-net, पर या

(घ) असाधारण मामलों में, सूचना प्रदाता अतिरिक्त रूप से **लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष** को सूचित कर सकता है। मुख्य बिंदु लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का पत्राचार पता उपलब्ध करवाएंगे ताकि ऐसे सूचना प्रदाता अपनी समस्याएँ उन्हें संबोधित कर सके।

यदि ऐसा मानने का कोई कारण है कि पदानुक्रम में पर्यवेक्षक भी संदिग्ध उल्लंघन में शामिल है, तो सीधे मुख्य बिंदु या समूह के आतंरिक लेखा–परीक्षा को सूचित किया जा सकता है। सूचना प्रदाता को किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है उसे जिस पर संदिग्ध उल्लंघन में शामिल होने का शक है या जिनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया होने का डर है।

➢ सूचना की विषय–वस्तु:

i. संदिग्ध उल्लंघन की विस्तृत जानकारी;

ii. संदिग्ध उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों की पहचान;

iii. दस्तावेजों/सबूतों का विवरण जो संदिग्ध उल्लंघन से जुड़ी है, यदि पता हो या पास मौजूद हो;

iv. वह समय सीमा जिसके अंतर्गत संदिग्ध उल्लंघन हुआ था।

नामरहित आरोपण

कंपनी किसी नामरहित सूचना को प्रेरित नहीं करती है। हालांकि, यदि ऐसी सूचना मिलती है, तो इसकी प्राथमिक रूप से जांच की जाएगी और यदि इसमें पर्याप्त, सटीक और विस्तृत जानकारी होती है या उक्त जांच में पारित हो जाती है तो आगे इसकी छानबीन की जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति सच्चाई जानते हुए भी इस विधि का दुरुपयोग करते हुए दुर्भावनापूर्वक शिकायत या ऐसी अन्य समस्या (उदाहारक, सहकर्मियों के खिलाफ) खड़ी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और/या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3.5 सूचित मामलो का प्रबंधन

इस विधि के तहत सभी सूचनाओं के बारे में तत्परता और सटीकता सहित छानबीन की जाएगी, और छानबीन के दौरान प्रकट हुई समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, केवल उन जानकारियों के अलावा जो

प्रयोज्य विधियों के अनुसार छानबीन और कोई सुधारक कारवाई करने के लिए आवश्यक है।

छानबीन आम तौर पर 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी केवल कुछ मामलों के अलावा जहाँ विधियों के संबंध में कुछ असुविधाएं हो या छानबीन में मुश्किल आ रही हो, या विशेष मामलों में जहाँ आईटीसी समूह आतंरिक लेखा परीक्षा मामले और आतंरिक छानबीन को सीधे प्रबंधित करने का निर्णय लेते हैं।

मुख्य बिंद इस विधि के पर्याप्त निष्पादन के लिए जिम्मेदार है और वे निम्न करेंगे:

- सूचित की गई समस्याओं को एकत्रित करना;
- प्रबंध निदेशक और इटैलसीमेंटी समूह के आतंरिक लेखा–परीक्षा को सूचित करना;
- जोखिम के आकार/प्रभाव के बारे में समझने के लिए समस्या के महत्व और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना;
- सत्यापित करना कि सूचित किया गया मामला गलत, मनगढ़ंत या झूठ नहीं है;
- नामरहित आरोपण पर यह सत्यापित करना कि वह पर्याप्त, सटीक और विस्तृत जानकारी/सबूत प्रदान कर रहे हो जो विचार करने लायक हो;
- आईटीसी समूह आतंरिक लेखा परीक्षा को सूचित कर गहराई से छानबीन करने या मामले को बंद करने का निर्णय लेना;
- उचित विभाग को निर्णयों और छानबीन का परिणाम संवादित करना ताकि वे किसी अगली कार्रवाई/ पहल का मूल्यांकन कर सके और/या समूह और स्थानीय नीतियों के अनुसार दंड लागू कर सके;
- प्रयोज्य गोपनीयता विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सभी दस्तावेजों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना ताकि पूरी प्रक्रिया और की गई कार्रवाई की अनुमार्गणीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके;
- प्रबंधक निदेशक और इटैलसीमेंटी समूह आतंरिक लेखा परीक्षा को वार्षिक आधार पर सूचित समस्याओं का सार, शामिल व्यक्तियों और की गई मुख्य कार्रवाई दर्शाती एक रिपोर्ट जमा करना;
- कंपनी के लेखा परीक्षा समिति की पुनरीक्षा हेतु उनकी आवधिक बैठकों में सूचित समस्याओं और लंबित छानबीन की स्थिति दर्शाती एक रिपोर्ट जमा करना;
- कर्मचारियों और व्यवसाय के तृतीय पक्षों में विधि के बारे में जानकारियां प्रसारित करना।

3.6 आरोप की अधिसूचना

मुख्य बिंदु आरोप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को अधिसूचना देगा। यदि ऐसी अधिसूचना से आतंरिक विश्लेषण और छानबीन में कोई रूकावट आती है या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे छानबीन समाप्त होने तक स्थगित कर देना चाहिए। अधिसूचना में समस्या का विवरण, प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रयोज्य विधियों और निवियमों के अधीन प्रयोग किए जा सकने वाले अधिकारों और कंपनी की क्रिया–विधियों, छानबीन के परिणाम और कंपनी द्वारा की जाने वाली कोई कार्रवाई/ पहल शामिल होनी चाहिए। अधिसूचना में सूचना प्रदाता (शिकायतकर्ता) की पहचान प्रकट नहीं होनी चाहिए, जब तक उसके तरफ से ऐसा करने की स्पष्ट सहमति प्रदान न की गई हो या प्रयोज्य विधियों और विनियमों द्वारा आवश्यक न हो। प्रभावित व्यक्ति को

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा।

3.7 सहयोग करने का कर्त्तव्य और छानबीन के बाद कार्रवाई

मुख्य बिंदु को समस्या के बारे में छानबीन करने के लिए **कंपनी के अन्य विभागों/ परिचालनाओं** से सहायता की आवश्यकता हो सकती है, और उन्हें यह सहायता करनी होगी। कंपनी के लिए या साथ काम कर रहे हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह उल्लंघनों की सूचना के छानबीन में सहयोग दे। किसी छानबीन में सहयोग देने में असफल होने पर, या किसी छानबीन के दौरान जानबूझ कर गलत जानकारी देने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमे तहत उसका रोजगार या अनुबंध भी समाप्त हो सकता है।

मुख्य बिंदु प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात कहने का एक मौका देगा।

सूचना प्रदाता को छानबीन के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करना का अधिकार है।

यदि, छानबीन के निष्कर्ष में, मुख्य बिंदु यह निर्धारित करते हैं कि कोई उल्लंघन हुआ है, तो कंपनी (एक वैधानिक प्रतिनिधि) अपराध की प्रकृति के अनुरूप तत्काल सुधारक कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई में आरोपित पक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल होगी, और मामला रोजगार की समाप्ति तक भी पहुँच सकता है। आगे ऐसे किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए यथार्थ और आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

3.8 दस्तावेज़ प्रतिधारण अवधि

इस प्रक्रिया के अनुसरण में रिपोर्टिंग, छानबीन और प्रवर्तन से संबंधित समस्त दस्तावेज़ों को प्रयोज्य विधियों के अनुसार रखा जाएगा।

3.9 संशोधन

कंपनी संघीय, राज्यीय या स्थानीय विनियमनों का अनुपालन बनाए रखने और/या कंपनी के अंतर्गत घटित संगठनात्मक परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए इस विधि को किसी भी समय संशोधित कर सकती है।

3.10 निष्कर्ष

व्हिसल ब्लोविंग की विधि का विकास निगमित शासन और व्यवसाय मानकों का उच्चतम स्तर प्राप्त करने

और बनाए रखने के लिए हमारे कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों के मार्गदर्शक के रूप का किया गया है।

व्हिसल ब्लोविंग की विधि के बारे में किसी भी प्रश्न/ स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संपर्क करें:

अध्यक्ष – एचआर,
जुआरी सीमेंट लिमिटेड, ऐडवेंट्ज़ सेंटर,
सं.28, 2 एवं 3 मंजिल,
कब्बॉन रोड,
बैंगलोर – 560001

4. संशोधन

संस्करण	**अनुमोदन तिथि**	**टिप्पणी**
1.0	2014/02/25	प्रथम संस्करण

5. वितरण

यह विधि BEST वेबसाइट में से प.सपाम पर प्रकाशित हुई है। कंपनी से सभी वीपी, निदेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में वितरित किया गया है, जो कंपनी का ई–मेल तंत्र एक्सेस कर सकते हैं और कंपनी के उन सभी कर्मचारियों और व्यवसायिक साझेदारों को उचित तरीके से संवादित (उदाहरण के लिए, उत्पादन स्थलों और कार्यालयों में सूचना पटल पर लगाया गया है) किया गया है जो कंपनी का ई–मेल तंत्र एक्सेस नहीं कर सकते हैं।

6. संदर्भ

6.1 आंतरिक

- व्हिसल ब्लोविंग पर समूह का मार्गदर्शन
- इटैलसीमेंटी समूह की आचार संहिता
- इटैलसीमेंटी समूह के मूल्यों का अधिकार–पत्र
- समूह निगमित शासन की रूपरेखा

6.2 बाहरी

कोई नहीं

7. शब्द–संग्रह

व्हिसल ब्लोविंग

शब्द व्हिसल ब्लोविंग एक ऐसी परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसमे कर्मचारी और व्यवसाय के तृतीय पक्ष समस्याओं (जैसे कि अनाचारों, दुरुपयोगों, गलत करतूतों, अविधिमान्य आचरणों) की सूचना देते हैं जिनके बारे में उन्हें पता चलता या वास्तव में संदेह होता है।

सूचना प्रदाता

समस्या के बारे में सूचना देने वाला प्रत्येक कर्मचारी, कंपनी के प्रबंधकीय और पर्यवेक्षण के प्रति जिम्मेदार और भूमिका निभाते व्यक्ति, और एक संभवतः सीमा तक कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली तृतीय पक्ष (उदाहरण के लिए, ठेकेदारों, मध्यस्थों, परामर्शकों, ग्राहकों), जिनके बारे में उन्हें पता चलता या वास्तव में संदेह होता है। सूचना प्रदाता को शिकायतकर्ता भी कहा जा सकता है।

मुख्य बिंदु

इस दस्तावेज और इसमें समाविष्ट जानकारियों में हमारे सभी अधिकार आरक्षित हैं। प्राधिकार के बिना इसे प्रस्तुत करना, उपयोग करना या तृतीय पक्ष को प्रकट करना शख्त रूप से मना है।